

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 145/2024/ सरफैसी

कोगटा फाईनेन्सियल (इंडिया) लिमिटेड, स्थानीय कार्यालय-द्वितीय फ्लोर, विनिमय  
कॉमर्शल काम्प्लेक्स, 16 तोरण बावडी, उदयपुर राजस्थान

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. विजेन्द्र सिंह देवडा पिता श्री उदयसिंह देवडा निवासी-फाचर, दरोली, तहसील-  
वल्लभनगर, उदयपुर।
2. कमला कुंवर पत्नी श्री विजेन्द्र सिंह देवडा निवासी-फाचर, दरोली, तहसील-  
वल्लभनगर, उदयपुर।
3. उदयसिंह देवडा पिता श्री किशनसिंह निवासी- फाचर, दरोली, तहसील- वल्लभनगर,  
उदयपुर।
4. रोशन लाल डांगी पिता श्री धुलचन्द निवासी- दरोली, तहसील- वल्लभनगर, उदयपुर।

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और  
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

उपस्थित: श्री जितेन्द्र सिंह झाला अधिवक्ता प्रार्थी

**आदेश**

दिनांक.....19/11/2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की  
प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध  
अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा  
अप्रार्थीगण को राशि कुल 10,12,862/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई  
तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (सम्पत्ति उदयसिंह देवडा पिता श्री  
किशनसिंह देवडा का आवासीय भूमि का पट्टा-संकल्प (प्रस्ताव) सं. 02, दिनांक  
17.12.2009/02.10.2010 ग्राम पंचायत ढावा द्वारा पट्टा संख्या 18460 जारी किया  
गया। मकान ग्राम-फाचर, तहसील-वल्लभनगर, उदयपुर 313601 की आराजी न.  
224/225 किस्म आबादी में स्थित है, ग्राम पंचायत की संकल्प सं. 02 दिनांक 25.02.  
2019 द्वारा पुनर्विधिमान्यकरण किया गया, आवासीय प्लॉट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा  
आदि जो सम्पत्ति के अमिन्न अंग है। उसका कुलिया माप 2000 वर्गफीट है। जिसकी  
चतुर्थ सीमाएं निम्न हैं- पूर्व में सोहनसिंह पिता किशनसिंह का मकान, पश्चिम में स्वंग  
का भूखण्ड, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में मोडसिंह पिता सूरतसिंह की कृषि भूमि)  
को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा  
नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर



  
जिला कलक्टर  
उदयपुर

प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 14.03.2024 तक 20,08,550/-रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि कुल 10,12,862/-रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 14.03.2024 तक 20,08,550/-रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यो के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (सम्पत्ति उदयसिंह देवडा पिता श्री किशनसिंह देवडा का आवासीय भूमि का पट्टा-संकल्प (प्रस्ताव) सं. 02, दिनांक 17.12.2009/02.10.2010 ग्राम पंचायत ढावा द्वारा पट्टा संख्या 18460 जारी किया गया। मकान ग्राम-फाचर, तहसील-वल्लभनगर, उदयपुर 313601 की आराजी न. 224/225 किस्म आबादी में स्थित है, ग्राम पंचायत की संकल्प सं. 02 दिनांक 25.02.2019 द्वारा पुर्नविधिमान्यकरण किया गया, आवासीय प्लॉट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। उसका कुलिया माप 2000 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्न है- पूर्व में सोहनसिंह पिता किशनसिंह का मकान, पश्चिम में स्वयं का भूखण्ड, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में मोडसिंह पिता सूरतसिंह की कृषि भूमि) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



M  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर